

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद ( अजमेर )

पीठासीन अधिकारी :- राकेश कुमार गुप्ता ( आर. ए. एस. )  
राजस्व प्रकरण संख्या :- 75/2019

उनवान

1. सूरजकरण पुत्र श्योजी जाति गुर्जर निवासी वार्ड न0 8 ग्राम मण्डियानी, नसीराबाद  
— प्रार्थी :- जरियें अधिवक्ता श्री कैलाश बीजावत  
बनाम
1. राजस्थान सरकार जरियें तहसीलदार नसीराबाद  
— अप्रार्थी :- जरियें राज0 पैरोकार

आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू राजस्व अधिनियम 1956

—: आदेश :-

दिनांक :- 14.8.20




अधिवक्ता प्रार्थी ने उक्त प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि ग्राम व पटवार मण्डल मण्डियानी के खाता संख्या 155/410 किता 3 रकबा 0.24, 157/412 किता 5 रकबा 2.19, 156/510 किता 6 रकबा 1.95, खसरा नम्बर 1306/2251 रकबा 0.92 की आराजी प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी की है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम उसके पिता श्योजी की विरासत दर्ज करते समय सूरजकरण के स्थान पर सूरजमल कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था। प्रार्थी का वास्तविक व सही नाम सुरजमल है। ग्राम मण्डियानी के राजस्व अभिलेख के अन्य खातों में प्रार्थी का सही नाम सूरजकरण ही अंकित है। अतः प्रार्थी का नाम आराजी मुतनाजा पर सूरजमल के स्थान पर सूरजकरण अंकित किया जावे।

प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर कर तहसीलदार नसीराबाद से रिपोर्ट तलब की गयी। बहस उभयपक्ष सुनी गयी।

पत्रावली का अवलोकन व अनुशीलन किया गया। बहस उभयपक्ष सुनी गयी। प्रार्थी का कथन है कि ग्राम व पटवार मण्डल मण्डियानी के खाता संख्या 155/410 किता 3 रकबा 0.24, 157/412 किता 5 रकबा 2.19, 156/510 किता 6 रकबा 1.95, खसरा नम्बर 1306/2251 रकबा 0.92 की आराजी प्रार्थी की संयुक्त पुश्तैनी खातेदारी की है। जिसमें राजस्व अधिकारियों द्वारा प्रार्थी का नाम कुछ खातों में सूरजकरण व कुछ खातों पर सूरजमल कर दिया जिसका उन्हे कोई अधिकार नहीं था।


ग्राम मण्डियानी के ही खाता संख्या 73/77, 182/404, 411/250 में प्रार्थी का सही नाम सूरजकरण ही अंकित है। प्रार्थी द्वारा अपने प्रार्थना पत्र के साथ प्रस्तुत परिवार राशन कार्ड, आधार कार्ड, भामाशाह कार्ड व जॉब कार्ड में भी प्रार्थी का नाम सूरजकरण ही अंकित है। एक ही ग्राम के भिन्न-भिन्न खातों में प्रार्थी का नाम अलग-अलग अंकित है जो दुरुस्ती योग्य है। प्रार्थना पत्र के कथनो व प्रार्थी द्वारा प्रस्तुत राजस्व अभिलेख व अन्य दस्तावेज से प्रार्थी का सही नाम सूरजकरण ही सिद्ध होता है। अतः राजस्व अभिलेख में प्रार्थी का नाम सुरजमल त्रुटिपूर्ण सिद्ध होता है। प्रार्थी उक्त त्रुटि दुरुस्त करवाने का अधिकारी है।

  
उपखण्ड अधिकारी,  
नसीराबाद ( अजमेर )

राजस्व अधिनियम की धारा 136 में भू प्रबन्ध विभाग द्वारा राजस्व अभिलेख में लिपिकीय त्रुटि सुधार करने का प्रावधान है। प्रार्थी का नाम अन्य खातों में सही अंकित होने के कारण शेष खातों में भी प्रार्थी का नाम सही अंकित करना न्यायोचित है।

अतः ग्राम व पटवार मण्डल मण्डियानी के खाता संख्या 155/410 किता 3 रकबा 0.24, 157/412 किता 5 रकबा 2.19, 156/510 किता 6 रकबा 1.95, खसरा नम्बर 1306/2251 रकबा 0.92 की आराजी पर प्रार्थी का प्रार्थना पत्र "स्वीकार" किया जाता है। उक्त खातों पर प्रार्थी का नाम सुरजमल के स्थान पर सूरजकरण दर्ज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। तहसीलदार नसीराबाद उक्तानुसार राजस्व अभिलेख में अमल दरामद करावे। पक्षकार खर्चा स्वयं वहन करे।

आदेश सरे इजलास सुनाया गया।

  
उपखण्ड अधिकारी  
नसीराबाद

